

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0-44 / 2020

तारीख रजू:-03.08.2020

जी0सी0एम0एस0 नंबर:-2020 / 00100

पीठासीनअधिकारी :-जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

गीता देवी पत्नि प्रेम प्रकाश शर्मा जाति ब्राम्हण, निवासी शिवाड, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।

-वादी

बनाम

1. गीता पुत्री सुवा (नाम हजफ)
2. धन्नी पत्नि सुवा (नाम हजफ)
3. मनराज पुत्र सुवा (एकपक्षीय कार्यवाही)
4. ममता पुत्री सुवा (नाम हजफ)
5. सीता पुत्री सुवा (नाम हजफ)

समस्त जातियान

समस्त जातियान अहिर, निवासीयान शिवाड, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।

6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, चौथ का बरवाडा।



-प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

वकील वादी:- श्री दिनेश पारीक, एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5:-नाम हजफ दिनांक 14.07.2023

प्रतिवादी संख्या 3:- एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 16.08.2024

दावा बाबत कृषि भूमि का बंटवारा अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक:-25.11.2025

:-निर्णय:-

1. यह है कि पूर्व में उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में हक व हिस्से अनुसार राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार, चौथ का बरवाडा को कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शे के तीन-तीन प्रतियों में तैयार कर इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया था।
2. यह है कि उक्त प्राथमिक डिक्री के निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/1259 दिनांक 11.06.2025 से मूल रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस भिजवाया है, जो शामिल पत्रावली है।

*Jagem*  
उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाडा (स० मा०)

3. यह है कि वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने दावा अनुसार बहस की तथा तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त तकासमा स्कीम के अनुसार तकासमा करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु निवेदन किया।
4. हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त तकासमा स्कीम का अवलोकन किया, साथ ही पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हम प्रार्थी का वादपत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

—:आदेश:—

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वाद निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम शिवाड, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के आराजी खसरा नंबर 364 रकबा 1.58 है० में से संलग्न नक्शे अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य निम्नानुसार तकासमा किया जाता है—

क्र. सं.	खातेदार का नाम	प्रस्तावित खसरा नंबर	रकबा (है० में)	किस्म	लगान
1.	गीता देवी पत्नि प्रेम प्रकाश शर्मा जाति ब्राम्हण सा० देह	364 / 1	0.2633 है०	बारानी-1	2.8963
2.	मनराज पुत्र सुवा जाति अहिर (यादव) सा० देह	264 / 2	1.3166	बारानी-1	14.4833

तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि उभयपक्षकारान के हिस्से में उक्त तकासमा अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(जोगेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

स्थान

चौथ का बरवाड़ा

- गीता देवी पत्नि प्रेम प्रकाश शर्मा जाति ब्राम्हण, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

**बनाम**

- गीता पुत्री सुवा (नाम हजफ)
  - धन्नी पत्नि सुवा (नाम हजफ)
  - मनराज पुत्र सुवा (एकपक्षीय कार्यवाही)
  - ममता पुत्री सुवा (नाम हजफ)
  - सीता पुत्री सुवा (नाम हजफ)
- समस्त जातियान  
समस्त जातियान अहिर, निवासीयान शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
- लैण्ड होल्डर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।



नम्बर मुकदमा 44 सन् 2020

दावा बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट

वादी की ओर से श्री दिनेश पारीक, एडवोकेट एवं प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 25.11.2025 को श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारों के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के आराजी खसरा नंबर 364 रकबा 1.58 है0 में से संलग्न नक्शे अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य निम्नानुसार तकासमा किया जाता है—

क्र. सं.	खातेदार का नाम	प्रस्तावित खसरा नंबर	रकबा (है0 में)	किस्म	लगान
1.	गीता देवी पत्नि प्रेम प्रकाश शर्मा जाति ब्राम्हण सा0 देह	364 / 1	0.2633 है0	बारानी-1	2.8963
2.	मनराज पुत्र सुवा जाति अहिर (यादव) सा0 देह	264 / 2	1.3166	बारानी-1	14.4833

तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि उभयपक्षकारान के हिस्से में उक्त तकासमा अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें।

इस वाद के खर्च लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 10.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3 प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4 प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6 कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7 आदेशिका की तामील	00	00			
<b>जोड</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>जोड</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

(जोगेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा  
चौथ का बरवाड़ा (सं मा०)